

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

### Section 43 : 1[\*\*\*\*]

1 Section 43 omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to omission it read as under:

#### **Section 43 : "Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability**

- (1) The details of every credit note relating to outward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the "supplier") for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched—
  - (a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the "recipient") in his valid return for the same tax period or any subsequent tax period; and
  - (b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.
- (2) The claim for reduction in output tax liability by the supplier that matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the recipient shall be finally accepted and communicated, in such manner as may be prescribed, to the supplier.
- (3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.
- (4) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.
- (5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.
- (6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is found to be on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such duplication is communicated.
- (7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5) if the recipient declares the details of the credit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.
- (8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 in respect of the amount so added from the date of such claim for reduction in the output tax liability till the corresponding additions are made under the said sub-sections.
- (9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the supplier by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Central Goods & Services Tax Act, 2017

---

**Provided** that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the recipient.

- (10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such contravention takes place and such supplier shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50."

## धारा 43 : 1[.....]

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 43 विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह धारा इस प्रकार थी :

**“धारा 43 : आउटपुट कर दायित्व में मिलान, उल्लंघन और कमी करने का प्रतिदावा**

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “पूर्तिकार” कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए जावक पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के साथ सुमेल किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “प्राप्तिकर्ता” कहा गया है) द्वारा उसी करावधि या किसी पश्चात्पूर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे में तत्समान कमी के साथ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की द्विरावृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावे, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे में तत्समान कमी से मेल खाता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार को दी जाएगी।

(3) जहां जावक पूर्तियों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी, इनपुट कर प्रत्यय के लिए तत्समान कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमापत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की जाती है वहां इस फर्क की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की द्विरावृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई फर्क संसूचित किया गया है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास, जिसमें फर्क संसूचित किया जाता है, के पश्चात्पूर्ती मास की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कमी के संबंध में ऐसी रकम को, जो दावों की द्विरावृत्ति के मद्दे पाई जाती है, पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उसकी उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी द्विरावृत्ति संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्राप्तिकर्ता अपने जमापत्र के ब्यौरे का अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी करने के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्समान वृद्धि किए जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी करने की स्वीकृति दी जाती है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकार को उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम को जमा करके प्रतिदाय किया जाएगा:

**परन्तु** किसी भी दशा में जमा किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन से आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकार की उस मास, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है, की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।”